

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
 मिसल नं. :: 118/2017
 सरकार बनाम रामचन्द्र पुत्र नागर, जाति-कुम्हार,
 निवासी- ढाणी ब्राम्हणान

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत


निर्णय दिनांक : 04.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामचन्द्र पुत्र नागर, जाति-कुम्हार, निवासी- ढाणी ब्राम्हणान द्वारा रोही मौजा बिगोदना की राजकीय भूमि ख.नं. 68 के कुल रकबा 16.30 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर फसल बाजरा काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित, गैर सायल की ओर से उसके पुत्र नवीन ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि गैर सायल ने राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिवारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।
 निर्णय आज दिनांक 04.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....¹⁴.....पर
 वर्ष...~~2017~~...18...में रुपये.....¹⁵.....कायम किए
 राजस्व लेखाकार


 (बनवारी लाल)
 नायब तहसीलदार, सूरजगढ़